सिंघल प्लांट के कर्मचारी ने उबलते लोहे की भट्टी में कूदकर दी जान

» हत्या या आत्महत्या ? जाँच में जुटी पुलिस

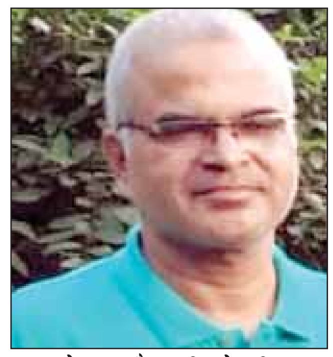

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना पूंजीपथरा अन्तर्गत दिनांक 11.12.2019 के सुबह सिंघल प्लांट तराईमाल में कार्यरत इंडक्शन फर्नेस इंचार्ज देवेंद्र कुमार राय पिता अवधेश राय उम्र 47 वर्ष निवासी जमशेदपुर (झारखंड) हाल मुकाम सिंघल प्लांट तराईमाल द्वारा फर्निस क्रायल (उबलते लोहे की भट्टी) में कूदकर आत्महत्या करने की सूचना प्लांट के संतोष कुमार सेठी पिता अनंतराम शेट्टी उम्र 29 साल द्वारा सुबह करीब 6:00 बजे थाना पूंजीपथरा में लिखित आवेदन के साथ दिया गया है।

सूचनाकर्ता ने बताया कि रात्रि करीब 2:50 बजे की घटना है। प्रतिदिन की तरह एस.एम.एस डिवीजन में रोज की भांति दिनांक 10.12.19 की रात्रि पाली का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था। रात्रि फर्निश इंचार्ज देवेंद्र कुमार राय कार्यस्थल पर काम का मुआयना कर रहे थे कि रात्रि लगभग 2:50 बजे अचानक ही 7 नंबर की भट्टी में उबलते हुए लोहे में कूदकर अपनी जान दे दिए। घटना के समय हेल्पर आदि मौजूद थे।

जिसके बाद तत्काल भट्टी को बंद कराया गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई सूचना मिलते ही पूंजीपथरा पुलिस मौके पर पहुंच कर पूरे मामले की जांच में जुट गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की बॉडी नही मिली क्यों कि पूरा शरीर जलकर राख हो गया है। भट्टी को सीज कर सेंपल लिया गया। मैनेजर ने आत्महत्या की है या फिर मामले को डायवर्ट करने के लिए इसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। पुलिस इसकी जांच करने में जुट गई है।

ऑटो से घर जा रहे मां-बेटी बिछड़े

» रायगढ़ डॉयल 112 वाहन ने युवती को घर तक छोड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। महिला/बच्चों की सुरक्षा के लिये छत्तीसगढ़ पुलिस सदेव कटिबद्ध है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा आदेशित किया गया है कि आपातकाल स्थिति किसी भी महिला/बच्चों को पुलिस की आवश्यकता हो तो उसे तत्काल मदद मुहैय्या कराया जाये। डायल 112 को इवेंट मिलने पर ईआरव्ही वाहन से स्टाफ कॉलर तक रिस्पांस टाईम में पहुंचे और यदि पीडिता को उसके गंतव्य (घर, ऑफिस, हॉस्टल) जाना हो तो डॉयल 112 स्टाफ ईआरव्ही वाहन से गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाए।

इसी क्रम में कल दिनांक 10.12.19 के रात्रि करीब 23.30 बजे कोतवाली (जूटमिल) राइनो-2 को डॉयल 112 से एक लड़की के कबीर चौक में होने का इवेंट मिला। इवेंट पर कोतवाली (जूटमिल) राइनो-2 ईआरव्ही वाहन से प्र.आर. संजय शर्मा, डहरू उरांव मौके पर पहुंचे। लड़की (20 साल) ने बताया कि इसकी मां होटल में काम करती है। स्टेशन से उसे घर जाने के लिए उसकी मां ऑटो में बैठाई थी, ऑटोवाला कबीर चौंक के पास छोड़कर चला गया है। लड़की मानसिक रूप से कमजोर थी अपने घर का पता ठीक से नहीं बता पा रही थी जिसके घर का पता काफी मशक्त के बाद डॉयल 112 स्टाफ द्वारा पता कर उसे सुरक्षित उसके घर बजरंगपारा में छोड़कर आये।

महत्वपूर्ण एवं खास

14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत में शामिल होने वाले पक्षकारों के लिए बस सुविधा होगी निःशुल्क

न्याय साक्षी/रायगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 14 दिसम्बर 2019 को सभी मामलों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। समग्र यात्री जन कल्याण एवं सेवा समिति, रायगढ़ के तत्वाधान में समस्त बस आपरेटरों द्वारा जनहित में नेशनल लोक अदालत दिनांक 14 दिसम्बर 2019 (एक दिवस हेतु) को राजीनामा हेतु न्यायालय में आने वाले पक्षकारों को लाने-ले जाने के लिये अपनी बसों की निःशुल्क सेवा दी जाएगी। नेशनल लोक अदालत दिनांक 14 दिसम्बर 2019 को जिला न्यायालय में राजीनामा हेतु आने वाले पक्षकारों द्वारा न्यायालयीन समन्स/नोटिस की प्रति बस संचालक/आपरेटरों को दिखलाये जाने पर वे निःशुल्क बस सेवा सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

16 व 17 दिसम्बर को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत होगा स्वास्थ्य परीक्षण

» 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठजन ले सकते है लाभ

न्याय साक्षी/रायगढ़। भारत सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठजनों को कृत्रिम दांत (बत्तीसी), नजर(पावर के चश्मे), ट्रायपॉड, ट्रेटापांड व्हील चेयर, वाकिंग स्टिक इत्यादि उपकरणों को निःशुल्क प्रदाय करने का प्रावधान है। योजना हेतु जिले का चयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। योजना का क्रियान्वयन एलिम्को द्वारा किया जावेगा। उक्त प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा रायगढ़ जिला में मूल्यांकन शिविर हेतु जिलेवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 16 एवं 17 दिसम्बर 2019 की तिथि निर्धारित है। जिसमें एलिम्को के 6 पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा शिविर में उपस्थित वरिष्ठजनों का परीक्षण कार्य किया जावेगा। वयोश्री योजना अंतर्गत वरिष्ठजनों को निःशुल्क उपकरण प्रदाय किए जाने हेतु दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। बीपीएल कार्ड, सीनियर सिटीजन पेंशन कार्ड का प्रमाण पत्र जो कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो। जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दुर्बलता प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र हेतु आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड जिसमें सीनियर सिटीजन की जन्म तिथि का उल्लेख हो एवं 2 नग पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाना होगा। जिले के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजन 16 एवं 17 दिसम्बर को प्रातः 10 बजे जिला मुख्यालय स्थित निःशक्तजन पुनर्वास केन्द्र (जतन) जिला पंचायत के सामने, छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ में उपस्थित हो सकते है।

राखी सांवत के खिलाफ ट्रक-ट्रेलर एसोसिएशन ने दर्ज कराई शिकायत

भिलाई (आरएनएस)। ट्रक-ट्रेलर एसोसिएशन भिलाई के चालकों ने बॉलीवुड एक्टर राखी सावंत के खिलाफ सुपेला थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। एसोसिएशन ने अपनी में राखी सावंत द्वारा ट्रक चालकों के खिलाफ अपशब्दों का किए गए प्रयोग मामले में कार्रवाई की मांग की है। ज्ञात हो कि हैदराबाद रेप कांड के बाद राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर बलात्कार के आरोपियों के लिए सजा की मांग की थी। साथ ही राखी ने सभी महिलाओं को सलाह दी थी कि कोई भी किसी भी कीमत पर हाईवे पर ना रुके। अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक करके चलें ताकि आधे रास्ते में गाड़ी बंद ना पड़े। वीडियो में राखी ने ट्रक चालकों के खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग किया था। जिसके बाद से देशभर में ट्रक चालकों द्वारा राखी सांवत के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा है। कहीं प्रदर्शन तो कहीं राखी के खिलाफ पुलिस में शिकायतें की जा रही है। इसी कड़ी में आज भिलाई के सुपेला थाने में शिकायत की गई है।

ओएलएक्स में समान खरीदी के बहाने 75 हजार की ठगी

» धोखाधड़ी का मामला दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। जेएसपीएल कंपनी के बीएसएम में डिप्टी मैंनेजर के पद पर कार्यरत संयम जैन पिता स्व0 प्रवीण चंद जैन उम्र 31 साल द्वारा दिनांक 11.12.2019 को थाना कोतरारोड़ में धोखाधड़ी होने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया है जिसके अनुसार इसकी बहन आयुषी जैन द्वारा ओएलएक्स में पलंग बेचने हेतु एड डाला गया था। दिनांक 29.11.19 को शाम करीब 6.00 बजे कुलदीप सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा मो0 830618×××××× से कॉल कर पलंग खरीदने की इच्छा जाहिर किया। पलंग के लिए 6500 में सौदा तय हुआ कि 5,000 रूपये टोकन के तौर पर फोन पे के माध्यम से भेजेगा और बाकी 1,500 रूपये पलंग लेने के समय देगा। फिर कुलदीप सिंह ने बताया कि वो आर्मी में कार्यरत होने के कारण लेनदेन अपने बैंक अकाउंट से नही कर सकता है। वह एक लिंक भेजा जिसे ओपन करने से संयम जैन बैंक अकाउंट से 5000 रूपये कट गये। जिसकी जानकारी संयम ने कुलदीप सिंह को दी गयी तो वह बताया कि ट्रांजेक्शन टाइम आउट हो गया। फिर से वह दूसरा लिंक भेजा। उस लिंक को ओपन करने से भी संयम के रूपये कट गये। इस प्रकार संयम के एकांउट से कुल 75000 रूपये कट गया। संयम जैन के आवेदन पर आज दिनांक 11.12.19 को थाना कोतरारोड़ में अप.क्र. 339/19 धारा 420 भादंवि का अपराध मोबाईल धारक कुलदीप सिंह के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स को कराया जा रहा है नैतिकता एवं मूल्यों की पहचान

» नवोदिया विद्यालय में ए.एस.पी. ने बच्चों को पढ़ाया मूल्य और नैतिकता का पाठ
» बच्चों ने जाना पुलिस के कार्य, अपराध की रोकथाम और उन पर नियंत्रण

न्याय साक्षी/रायगढ़। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये भारत सरकार द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना के तहत इस जिले के पांच स्कूलों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना चलायी जा रही है। स्टूडेंट पुलिस कैडेट (एसपीसी) का मकसद विद्यार्थियों को बुनियादी कानून और पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देना है।

जिले के पांचो चयनित स्कूल में 22 बालक, 22 बालिकाओं का चयन किया गया है। इन्हें पुलिस, सड़क सुरक्षा, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आपदा प्रबंधन, मूल्य और नैतिकता, बुजुर्गों का आदर, सहानुभूति और सहनशीलता, धैर्य, टीम भावना और अनुशासन का पाठ इन दो साल में पढाया जावेगा। साथ ही महिला पुलिस स्टेशन, बाल सुरक्षा गृह, ट्रैफिक पुलिस, फायरब्रिगेड स्टेशन जाकर बच्चें इन्हें सीख सकेंगे।

आज दिनांक 11.12.19 को एडिशनल एसपी आईयूसीएडब्ल्यू डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भैया अपने स्टॉफ के साथ नवोदय विद्यालय, भूपदेवपुर बच्चों को इन विषयों पर जानकारी देने पहुंचे। डॉ. भैया द्वारा पुलिस के कार्य, अपराध व अपराध की रोकथाम एवं मूल्य और नैतिकता के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाया गया तथा स्कूल में कैडेट्स के इनडोर और आउटडोर गतिविधियां की जानकारी लिये।

कार्यक्रम में स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स के अलवा स्कूल के छात्र-छात्राएं तथा शिक्षकगण भी काफी संख्या में उपस्थित थे जिन्हें पॉस्को एक्ट , सायबर अपराधों की जानकारी व गुड टच बैड टच की जानकारी दिया गया। एएसपी डॉ. भैया द्वारा बच्चों को वर्तमान में फेसबुक, व्हाटसअप के जरिये हो रहे अपराधों की जानकारी देते हुये बचाव के उपाय बताये एवं सावधानी बरतने को बोले। साथ ही हेल्प लाईन नम्बर मोबाइल नम्बर 1098, 1091, 112 एवम 100 के बारे में बताया गया है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा निजी क्लीनिक का किया गया आकस्मिक निरीक्षण

» निजी संचालकों को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट के संबंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ विकास खण्ड के लोईंग स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आज विभिन्न निजी नर्सिंग होम, निजी क्लीनिक, निजी हॉस्पिटल का आकस्मिक निरीक्षण करके निजी नर्सिंग संचालकों को अपने क्लिनिक के बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही क्लीनिक की साफ -सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण टीम में नोडल अधिकारी डॉ.एस.पी.मिश्रा, वैभव डियोडिया, योगेश यादव, गणेश निषाद आदि शामिल हैं। टीम द्वारा अपैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, गंगा नर्सिंग स्मार्ट हॉस्पिटल, मां अम्बे क्लिनिक किरोड़ीमल नगर, आदर्श क्लीनिक किरोड़ीमल नगर, जीवन ज्योति किरोड़ीमल नगर और आरोग्य केन्द्र किरोड़ीमल नगर का निरीक्षण किया गया।

किसानों का खरीदा जाएगा धान, छोटे व सीमान्त किसानों का पहले कटेगा टोकन

» कलेक्टर ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कहा

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक ली। उन्होंने बैठक में अधिकारियों से कहा गत दिवस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने संदेश में किसानों से कहा है कि सरकार धान खरीदी में किसानों की सुविधा का पूरा ख्याल रखेगी। इसके लिए चाहे खरीदी की समय सीमा बढ़ानी हो या किसानों को धान बेचने की बारी उसे भी बढ़ाया जायेगा। उन्होंने धान खरीदी कार्य के नोडल और निरीक्षणकर्ता अधिकारियों को विशेष रूप से कहा की यह कार्य प्राथमिकता से पूरी गंभीरता के साथ किया जावे। साथ ही प्रत्येक विभागों के चल रहे अन्य कार्य भी तय समय में पूरा किया जावे। निरीक्षण की रिपोर्टिंग भी नियमित रूप से करने के निर्देश भी दिए। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी में आजीविका से जुड़े नवाचार व कार्यों को जमीनी स्तर लागू करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी को दिया। ग्राम गौठान समिति को प्रतिमाह दी जाने वाली राशि का शीघ्र प्रदाय सुनिश्चित करें। वन विभाग द्वारा बनाये जाने वाले प्रस्तावित गौठानों के कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिए। आगामी 15 दिसम्बर को महापल्ली में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय युवा तैयारियों की समीक्षा करते हुए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। जाति प्रमाण पत्रों के विषयों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटान के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को कहा।

धान खरीदी के संबंध में नोडल व निरीक्षणकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित

» खरीदी के संबंध में विस्तार से दी गई जानकारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशानुसार आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में धान खरीदी से जुड़े नोडल व निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें सहकारिता विभाग, जिला विपणन एवं खाद्य विभाग द्वारा धान खरीदी से जुड़ी जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि धान खरीदी केन्द्रों के कम्प्यूटर ऑपरेटरों को निर्देशित कर पंजीकृत छोटे किसान जिनकी भूमि रकबा पांच एकड़/ ढ़ाई एकड़ से कम हो को पहले टोकन जारी किया जाकर धान खरीदी में प्राथमिकता दिया जाना है। धान के विभिन्न किस्मों को दिखाकर बताया गया कि पंजीकृत कृषकों से खरीदी जाने वाले के गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जावे तथा धान साफ-सुथरा एवं सूखा ही क्रय किया जावे। तदनुसार सूचना फ्लेक्स के माध्यम से समिति प्रांगण में अनिवार्य रूप से लगाया जाकर कृषकों को अवगत कराया जाये तथा मानक धान का सेम्पल समिति में अनिवार्यतः रखा जाये। कृषकों द्वारा बिक्री के लिए लाये गये धान का पहले फड़ में ही ढेरी लगाया जावे तथा फिर आर्द्रता की जांच के बाद ही साफ व सूखा होने पर ही समिति के बारदाना में भरकर तौलाई किया जावे। धान केवल दिन के उजाले में ही तौल कर सिलाई कराया जावे एवं व्यवस्थित किस्मवार नया/पुराना बारदाना के आधार पर स्टेक लगाया जावे।

केवल समिति का स्टेंशिल लगा हुआ बारदाना ही किसानों को दिया जावे। स्टेंशिल बारदाना के प्रिंटेड भाग में ही नीचे या ऊपर लगाया जावे। समिति में कृषकों को उनके लाये गये धान के मात्रा के अनुपात में 60 प्रतिशत नया एवं 40 प्रतिशत पुराना बारदाना दिया जावे एवं किसी भी स्थिति में बारदाना खरीदी केन्द्र के बाहर न जाने दिया जावे। खरीदी हेतु प्राप्त बारदाना को विधिवत रजिस्टर में एन्ट्री करें तथा कृषकों को तौल हेतु दिए जाने वाले बारदाना को किसानवार एन्ट्री कर शेष बारदाना का उल्लेख करें। जिसका मिलान भौतिक रूप से उपलब्ध बारदाना से होना चाहिए और इसी का मिलान कम्प्यटर एन्ट्री से भी होना चाहिए। बारदाना पंजी, टोकन पंजी, खरीदी पंजी, निरीक्षण पंजी एवं अन्य पंजियां प्रतिदिन अपडेट होनी चाहिए। शाम को अपडेट (मिलान)पश्चात समिति का सील एवं हस्ताक्षर होना चाहिए एवं प्रत्येक पंजी का सत्यापन प्रमाण-पत्र होना चाहिए। समय-समय पर तौल पत्रक का भी अवलोकन किया जावे।

प्रतिदिन निर्धारित मात्रा में ही सुव्यवस्थित ढंग से खरीदी किया जावे, जितना बारदाना उपलब्ध हो एवं खरीदे गये धान को रखने के स्थान उपलब्ध हो उसके आधार पर ही धान की खरीदी किया जावे इस हेतु सुव्यवस्थित टोकन जारी किया जावे। धान खरीदी केन्द्रों में मोटा, पतला एवं सरना तीन किस्म के धान के अतिरिक्त महामाया, आईआर 36, एचएमटी किस्म का भी धान बिक्री के लिए जा सकते है। जिसे नया एवं पूराना बारदाना में अलग-अलग स्टेक बनाकर रखा जावे। प्रत्येक किस्म के स्टेक में धान का किस्म, नया/पूराना बारदाना बोरे की संख्या एवं मात्रा का उल्लेख का बोर्ड लगवायें। धान के बोरे का स्टेक लम्बाई 12, 8 व 20 के अनुपात में लगवाया जावे। धान की सुरक्षा हेतु पर्याप्त मात्रा में कैप कव्हर, ड्रेनेज हेतु बोरी एवं भूसा रखकर व्यवस्थित रखा जावे। एवं धान के बोरे रखने के लिए प्लास्टिक की बोरियों में भरने हेतु धान की भूसी न मिले तो पैरा का उपयोग किया जावे ताकि धान सुरक्षित रह सके।

उपार्जन केन्द्र में यदि कोई कृषक गंदा या नमी युक्त धान लेकर आता है, तो उसे समझाईश देना है कि धान साफ सुथरा और धान सूखाकर लायें। इसके बाद भी यदि कृषक नहीं समझता है तो हर केन्द्र में धान खरीदी गुणवत्ता एवं निगरानी समिति है उसमें संबंधित किसान का धान सेम्पल में रखकर निराकरण करावें एवं उसका पंचनामा कर समिति के रिकार्ड में रखे। जिला प्रशासन या राज्य स्तर पर कोई भी अधिकारी, कर्मचारी उपार्जन केन्द्र में निरीक्षण हेतु उपस्थित होते है तो निरीक्षण उपरांत उपार्जन केन्द्र में उपलब्ध निरीक्षण पंजी मंगाकर उपार्जन केन्द्र में उपलब्ध धान का स्टाक बारदाना का स्टाक स्टैक की व्यवस्था धान के सुरक्षा की व्यवस्था सुव्यवस्थित खरीदी हेतु टोकन प्रबंध व्यवस्था हमालों की उपलब्धता और विवादित/अमानक धान के निराकरण हेतु गुणवत्ता एवं निगरानी समिति की कार्यवाही के संबंध में अनिवार्य रूप से टीप दिया जावे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480